

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू०अ०नि० (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....1184

प्रेषक,

सुहर्ष भगत, भा० प्र० से०

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण,

बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,

पटना/बक्सर/ सारण (छपरा)/मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/दरभंगा/
गया जी/वैशाली (हाजीपुर)/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/
भोजपुर (आरा)/औरंगाबाद/गोपालगंज/ भागलपुर/कैमूर(भभूआ)/
सिवान/मधुबनी/रोहतास/नवादा/बाँका/शिवहर/सहरसा/बेगूसराय/
लखीसराय/जहानाबाद/अरवल/किशनगंज/
अररिया/कटिहार/सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/जमुई/शेखपुरा/
नालन्दा/पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/पूर्णियाँ/खगड़िया/मुंगेर/

प्राचार्य,

राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,

बोधगया, गया।

पटना दिनांक :- 13/04/2026

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्राप्त अधियाचना के आलोक में आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में वेतनादि मद एवं संविदा सेवाएँ मद में कुल -73,88,99,900/- (तिहत्तर करोड़ अट्ठासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जी०या०म 0	01 04 म०कि०म 0	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 वि०भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	28 02 संविदा सेवाएँ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बन्दोबस्त कार्यालय, पटना	6000000	4200000	1200000	320000	80000	12000	18900000	30712000
2	बन्दोबस्त कार्यालय, बक्सर	1846700	1292700	184000	-	30800	-	14899500	18253700
3	बन्दोबस्त कार्यालय, सारण (छपरा)	1378100	799300	137800	34700	22000	-	24944500	27316400

क्र० स०	कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जी०या०म ०	01 04 म०कि०म ०	01 05 परिवहन मत्ता	01 06 चि०मत्ता	01 07 अन्य मत्ता	28 02 संविदा सेवाएँ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर	2750000	1677500	225000	36000	30000	—	21588000	26306500
5	बन्दोबस्त कार्यालय, समस्तीपुर	2444400	1417800	244400	60000	36000	—	16123100	20325700
6	बन्दोबस्त कार्यालय, दरभंगा	3000000	1830000	300000	60000	50000	—	17500000	22740000
7	बन्दोबस्त कार्यालय, गया जी	6536000	3790900	653600	71200	60000	—	31500000	42611700
8	बन्दोबस्त कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)	2734600	1666300	273000	—	52000	—	21000000	25722900
9	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	2500000	1500000	250000	50000	50000	—	14000000	18350000
10	बन्दोबस्त कार्यालय, भोजपुर (आरा)	2675600	1632100	245800	59300	40000	4000	14774900	19431700
11	बन्दोबस्त कार्यालय, औरंगाबाद	766700	450000	100000	—	13300	—	18865000	20195000
12	बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज	2000000	1250000	200000	—	30000	—	30100000	33580000
13	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	4800000	2800000	485000	100000	50000	—	18200000	26435000
14	बन्दोबस्त कार्यालय, कैमूर	650000	405000	48000	—	16000	—	16975000	18094000
15	बन्दोबस्त कार्यालय, सिवान	3095200	1949900	309500	—	40000	—	16678900	22073500
16	बन्दोबस्त कार्यालय, मधुबनी	1955600	1160500	155000	35300	28000	90000	12775000	16199400
17	बन्दोबस्त कार्यालय, रोहतास	2200000	1300000	200000	60000	35000	—	22172500	25967500
18	बन्दोबस्त कार्यालय, नवादा	2545600	1476500	188400	—	28000	—	18829100	23067600

क्र० स०	कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ ०	01 04 म०कि०भ ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	28 02 संविदा सेवाएँ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका	2505200	1603300	187900	—	44000	—	21000000	25340400
20	बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर	2700000	2017000	250000	—	40000	—	2800000	7807000
21	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	1842400	1123900	184200	53400	36000	—	6930000	10169900
22	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	2635600	1607700	263600	68900	52000	—	13125000	17752800
23	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	2270000	1325000	460000	10000	45000	—	10500000	14610000
24	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	1404300	956600	105300	4000	27300	—	6965000	9462500
25	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल	1593600	996000	171900	10000	32000	—	8400000	11203500
26	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	1728400	1010000	175000	—	32000	—	5845000	8790400
27	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	2300000	1450000	180000	—	50000	1000	8750000	12731000
28	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	2459600	1426600	245900	47400	32000	—	17500000	21711500
29	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	2653000	1804000	265300	58800	40000	41600	12287100	17149800
30	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	1839600	1067000	183900	—	36000	—	8971300	12097800
31	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	2000000	1160000	200000	—	24000	—	7700000	11084000
32	बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई	4500000	2300000	400000	—	100000	—	14000000	21300000
33	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	2047700	1331000	157000	6400	48000	—	434000	4024100
34	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	3800000	2400000	400000	100000	100000	4000	17500000	24304000


क्र० स०	कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जी०या०म ०	01 04 म०कि०म ०	01 05 परिवहन मत्ता	01 06 चि०मत्ता	01 07 अन्य मत्ता	28 02 संविदा सेवाएँ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	बन्दोबस्त कार्यालय, प०चम्पारण (बेतिया)	2806800	1852500	245900	42300	39000	—	15280800	20267300
36	बन्दोबस्त कार्यालय, पूणियाँ	3500000	2000000	300000	100000	100000	—	17500000	23500000
37	बन्दोबस्त कार्यालय, खगडिया	1226100	797000	92000	—	21000	—	3459000	5595100
38	बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर	3000000	1950000	300000	29600	48000	—	14000000	19327600
39	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	1825600	1228000	200000	—	35000	—	—	3288600
कुल योग :-		100513400	62004100	10367400	1417300	1672400	152600	562772700	738899900

(तिहत्तर करोड़ अट्ठासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ) रूपये

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 706 दिनांक 26.02.2026 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/मॉग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड **40- 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन


(सुहर्ष भगत)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण पटना, दिनांक :- 13/04/2026

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....1184.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण पटना, दिनांक :- 13/04/2026

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....1184.....

प्रतिलिपि:- संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण पटना, दिनांक :- 13/04/2026

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....1184.....

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण पटना, दिनांक :- 13/04/2026

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....1184.....

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण